रियायत प्रमाण-पत्र

परिष्ठ स. 1/48

जारी करने वाले डॉक्टर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर सहित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं।

मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों को रेल रियातयत प्रदान करने के लिए सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला फार्म।

यह प्रमाणित किया जाता है कि कु./श्री/श्रीमती —————————— जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है एक सदाशयी मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति है और मार्गरक्षी के बिना यात्रा नहीं कर सकते हैं।

मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति का ब्यौरा :–

(क) पता ——————————————————————

(ख) पिता/पति का नाम ——————————————————

(ग) आयु —————— (घ) पुरुष/स्त्री ——————————————

(ङ) मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अगूठे का निशान ——————————

स्थान : ——————————

दिनांक : ——————————

——————————

(सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर)

——————————

सरकारी अस्पताल/
क्लीनिक की स्पष्ट मोहर

——————————

मोहर जिस पर डाक्टर का पूरा नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर हो

टिप्पणी : (1) यह प्रमाण-पत्र मानसिक रूप से विकृत केवल उन व्यक्तियों को जारी किया जाना चाहिए जो मार्गरक्षी के बिना यात्रा नही कर सकते। फोटो पर डाक्टर द्वारा इस प्रकार हस्ताक्षर किए जाएं और मुहर लगाई जाए कि हस्ताक्षर और मोहर का कुछ भाग फोटो पर और कुछ भाग प्रमाण-पत्र पर हो।

(2) यह प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैद्य होगा। प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद , व्यक्ति को नया प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। इस प्रमाण-पत्र की फोटो स्टेट प्रतिलिपि रियायत प्रदान करने के लिए स्वीकार की जाएगी। मूल प्रमाण-पत्र को रियायत टिकट खरीदते समय और यात्रा के दौरान मांगने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(3) फार्म मे कोई परिवर्तन करने की अनुमति नही है।